# (TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

#### GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT DELHI SACHIVALAYA, 1.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

#### Notification No. 11/2022-State Tax

Dated: 0 4/10/ 2022

No. F.3 (19)/Fin.(Exp-I)/2022-23/DS-I/796 -In exercise of the powers conferred by section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of this Government issued vide No. 21/2019-State Tax, dated the 17<sup>th</sup> October 2019, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3 (73)/Fin(Rev-I)/2019-20/DS-VI/490, dated the 17<sup>th</sup> October 2019, namely:-

In the said notification, in the second paragraph, after the fourth proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

Provided also that the said persons shall furnish a statement, containing the details of payment of self assessed tax in FORM GST CMP-08 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 for the quarter ending 30th June, 2022 till the 31st day of July, 2022.

Note: The principal notification No. 21/2019-State Tax, dated the 17<sup>th</sup> October 2019, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3 (73)/Fin(Rev-I)/2019-20/DS-VI/490, dated the 17<sup>th</sup> October 2019 and was last amended, vide notification number 25/2021 – State Tax, dated the 23<sup>rd</sup> November 2021, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3 (123)/Fin(Exp-I)/2021-22/DS-I/327, dated the 23<sup>rd</sup> November 2021.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(Ravinder Kumar) Dy. Secretary I (Finance)

Dated: 04/10/ 2022

No. F.3 (19)/Fin.(Exp-I)/2022-23/DS-I/ 796 Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.

2. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.

3. The Principal Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate,

4. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.

The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi.

The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P.

Estate, New Delhi.

The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.

Joint Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi,

Delhi Secretariat, New Delhi.

- The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat,
- 10. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.

11. Website.

12. Guard File.

(Ravinder Kumar) Dy. Secretary I (Finance)

### (दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

#### राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार वित्त (व्यय-I) विभाग दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

## अधिसचना संख्या- 11/2022-राज्य कर

दिनांकः 0 ५//७ / 2022

सं.फा.03( 19 )/ वित्त (व्यय–I)/2022–23/डीएस–I/796 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, एतदद्वारा, इस सरकार की अधिसूचना संख्या संख्याक सं.फा.०३ (७३) / वित्त तारीख 17 अक्टूबर, 2019 जो 21/2019—राज्य कर, (राजस्व—I) / 2019—20 / डीएस—VI / 490, तारीख 17 अक्टूबर, 2019 द्वारा दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग— IV में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

उक्त् अधिसूचना के, दूसरे पैरा में, चौथे परंतुक के पश्चाात् निम्नालिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह और भी कि उक्त व्यक्ति 30 जून 2022 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए स्वानिर्धारित कर के संदाय के ब्यौरो के विवरण को दिल्ली माल और सेवा कर नियम 2017 के प्ररुप जीएसटी सीएमपी—08 में 31 जुलाई 2022 तक प्रस्तुत करेगा।

टिप्पणः मूल अधिसूचना संख्यां २१/२०१९—राज्य कर, १७ अक्टूबर, २०१९, संख्याक सं.फा.०३ (७३)/वित्त (राजस्व—I) / 2019—20 / डीएस—VI / 490, तारीख 17 अक्टूबर, 2019 द्वारा दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग—IV में प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सं. 25/2021—राज्य कर, तारीख 23 नवंबर, 2021 द्वारा संशोधित की गई थी, संख्याक सं.फा. 03(123)/वित्त  $(\overline{c}\overline{u}\overline{u}-I)/2021-22/डीएस-I/327$ , तारीख 23 नवंबर, 2021 द्वारा दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग-IV में प्रकाशित की गई थी

> राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

> > (रविन्द्र कुमार)

उप सचिव — [ (वित्त)

सं.फा.03( | 9 ) / वित्त (व्यय-I) / 2022-23 / डीएस-I / 79.6

दिनांकः ७५//० / 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारितः

माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।

2 अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग –

चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।

3 प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

4 आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।

5 माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

6 वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

- 7 अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 8 संयुक्त निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

9 नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।

10 मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

11 वेब साईट।

12 गार्ड फाइल।

( रविन्द्र कुर्मार ) उप सचिव –I (वित्त)